

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 182 / 2025

अमृतलाल मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, स्वायत्त शासन, विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त जरिए नगर परिषद्, डूंगरपुर।
4. जयप्रकाश पारगी, प्रधान, पंचायत समिति, गलियाकोट, डूंगरपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025

आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री घेवरराम, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर नगर परिषद्, डूंगरपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से नगर पालिका सागवाड़ा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक कारणों से किया गया है। अपीलार्थी के पिता वरिष्ठ नागरिक है, साथ ही अपीलार्थी परिवार की देखभाल करने वाला एक मात्र सदस्य है। ऐसे में अपीलार्थी का अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने से अपीलार्थी को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)